Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर को धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत जवर्रा–नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण हेतु 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 27 -05-2021

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nawa Raipur

Name Manoj Kumar Pingua

Designation Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–02/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 /05/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़।

विषयः – **आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर का धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत दुगली में रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**

संदर्भः – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–707/132, दिनांक 18.01.2021 एवं पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–707/992, दिनांक 09.04.2021।

—— 00——

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़, रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है:–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन), रायपुर का धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत दुगली में रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा–नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 12
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी धमतरी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–**FP/CG/OTHER/25789/2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।	13
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत दुगली में रकबा मरधुनी जवर्रा कक्ष क्रमांक 317 के रकबा 0.866 हे. एवं सिंघोरा तुमबाहरा के कक्ष क्रमांक 322 के रकबा 0.835 हे.; कुल रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	14
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** काजल नदी पर पुल निर्माण के निर्माण परियोजना के लिए गैर वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।	15
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	17 – 18
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में पुल निर्माण निर्माण हेतु रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 925.45 बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.4 तक है।	19 – 26
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत दुगली में रकबा मरधुनी जवर्रा कक्ष क्रमांक 317 के रकबा 0.866 हे. एवं सिंघोरा तुमबाहरा के कक्ष क्रमांक 322 के रकबा 0.835 हे.; कुल रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा–नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। उक्त पुल के निर्माण से ग्राम जबर्रा के आसपास के 14 गांव के कुल जनसंख्या 11,356 लोगों को ब्लॉक मुख्यालय नगरी से सीधा संपर्क होगा तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे स्वास्थ्य सुविधा, दैनिक उपयोग की चीजें सुलभ होगा।	27
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F.No. 11-9/ 98-FC दिनांक 17.05.2013 अनुसार धमतरी जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट प्रदान की गई है।	28
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** धमतरी वनमंडल के दुगली परिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमांक 317 एवं 322 में जबर्रा–नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित रकबा आवश्यक एवं न्यूनतम है इस आशय का वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	29
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है ।	30– 32
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 13 वृक्षों का विदोहन किया जाना है। विदोहित किये जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्ष लगाने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	33
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट की आवश्यकता नहीं है।	34
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	35
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	36
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	37 – 42

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	43
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	44
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।	45
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।	46
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा।	47
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	48
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	49
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	50
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	51
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी धमतरी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को उनके द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।	52 – 58
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	59
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जबर्रा विकासखण्ड नगरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	60 – 61
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** धमतरी जिले की कुल वन भूमि 2125.54 वर्ग कि.मी.. है।	62
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** धमतरी वन मंडल में 15 प्रकरणों के लिए 550.356 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	63
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में** – धमतरी वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत एक भी प्रकरण व्यपवर्तित की गई है।	64
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर नहीं है। वन मंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	65
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	66

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी बिरगुड़ी के दिनांक 29.06.2020 के कार्यवाही विवरण के आधार पर कलेक्टर धमतरी द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 19.07.2020 को जारी किया गया है।	67 –73
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर धमतरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	74 – 75
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 76 से 78) –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	76 –78
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	79
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित 1.701 हे. वन भूमि उपजाऊ नहीं है। वनमंडलाधिकारी, धमतरी एवं परिक्षेत्राधिकारी, दुगली का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	80
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	81
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	82
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	83
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** वन्य प्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	84
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** लागू नहीं।	85
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।	87–85

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृत प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः– प्रस्ताव 1 प्रति में ।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 5–02/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 /05/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), अरण्य भवन, सेक्टर–19 अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग